19 अप्रैल को बस्तर में मतदान

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ के बस्तर संसदीय क्षेत्र में लोकसभा **चुनाव के पहले चरण** के तहत 19 अप्रैल को मतदान होगा।

मुख्य बिंदु:

- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इस विधानसभा क्षेत्र में करीब दो हज़ार मतदान केंद्र बनाये गए हैं। सुरक्षा कारणों से इनमें से 200 से अधिक मतदान केंद्रों को स्थानांतरित कर दिया गया है।
  - निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिये पूरी तैयारी कर ली है।
    - इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बीजापुर ज़िले में छह मतदान केंद्र हैं जहाँ लोग करीब बीस वर्ष बाद दोबारा मतदान कर सकेंगे।

वामपंथी उग्रवाद

- वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism- LWE), जिसे वामपंथी आतंकवाद या कट्टरपंथी वामपंथी आंदोलनों के रूप में भी जाना जाता है, उन राजनीतिक विचारधाराओं और समूहों को संदर्भित करता है जो क्रांतिकारी तरीकों के माध्यम से **महत्त्वपूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन का समर्थन** करते हैं।
- LWE समूह अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिये **सरकारी संस्थानों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों या निजी संपत्ति** को निशाना बनाने जैसे कदम उठाते हैं।
- भारत में वामपंथी उग्रवादी आंदोलन की शुरुआत **वर्ष 1967 के पश्चिम बंगाल में** नक्सलबाड़ी (Naxalbari) के उदय के साथ हुई।

भारत निर्वाचन आयोग
(Election Commission of India-ECI)

ECI

- एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है।
- लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन
- स्थापना- 25 जनवरी 1950 (राष्ट्रीय मतदाता दिवस)

संवैधानिक प्रावधान

भाग XV-अनुच्छेद 324 से 329

संरचना

- 1 मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं
- कार्यकाल- 6 वर्ष, या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
- सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त- सरकार द्वारा पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र।
- मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना- सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक के समर्थन से उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत के साथ सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर प्रस्ताव

प्रमुख भूमिकाएं और जिम्मेदारियाँ

- चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण
- मतदाता सूची तैयार करना और समय-समय पर उसका पुनरीक्षण करना
- चुनाव कार्यक्रम और तारीखों को अधिसूचित करना
- राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और उन्हें राष्ट्रीय या राज्य दलों का दर्जा देना
- राजनीतिक दलों के लिये आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) जारी करना
- सांसदों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना

चुनौतियाँ

- मुख्य चुनाव आयुक्त का छोटा कार्यकाल
- नियुक्तियों में कार्यकारी प्रभाव
- वित्त के लिये केंद्र पर निर्भरता
- स्वतंत्र स्टाफ की कमी

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/voting-to-be-held-on-19th-april-in-bastar